# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

**पीठासीन अधिकारी विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.**

वाद संख्या :– 02 / 174 / 2016

हरिनारायण बनाम धापा वगैरा

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

उपस्थित – श्री सतीश चन्द शर्मा, एड. प्रार्थी

दिनांक 26.07.2018

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 07.11.16 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 45 / 0.20 है. वाके ग्राम नीमला तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 05.01.2017 को इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् जारी की गई थी तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण बाद रजिस्टर्ड नोटिस सूचना के उपस्थित न्यायालय नहीं आने पर उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी के आग्रह पर बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2011–2019 खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2020, 2046 व हाल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 वाके ग्राम नीमला तहसील राजगढ का अवलोकन किया। बाद गौर प्रार्थना पत्र व दस्तावेज से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में होना तथा सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 45 / 0.20 है. वाके ग्राम नीमला तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 07.11.2016 का प्रचलन दावे के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 10.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)